छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

तृतीय कारण बताओ नोटिस

बिलासपुर, दिनांक 22 जून, 2021

क्रमांक 5691 /
II-13-9/2021

प्रति,

श्री खिस्ट विकास तिग्गा
आत्मज श्री खिस्तो दास तिग्गा
मकान नम्बर–111 (ख),
ग्राम–कुकरीचोली, तहसील–भैंसमा
जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन–495674.

विषय :– बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन के दिनांक 24.10.2020 से लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

संदर्भ :– रजिस्ट्री कारण बताओ नोटिस कमांक 3414 दिनांक 10.03.2021 तथा द्वितीय कारण बताओ नोटिस कमांक 4693 दिनांक 17.05.2021.

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आप बिना किसी पूर्व सूचना/आवेदन के दिनांक 24.10.2020 से लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस संबंध में आपकी ओर कारण बताओ नोटिस कमांक 3414 दिनांक 10.03.2021 जारी करते हुए आपको 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही आपको यह भी निर्देशित किया गया था कि यदि आपके द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आपकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उक्त कारण बताओ नोटिस की तामिली डाक विभाग के द्वारा आपको दिनांक 17.03.2021 को करायी जा चुका है, परन्तु न तो आप अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हुए हैं और न ही आपके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पुनः आपकी ओर द्वितीय कारण बताओ नोटिस कमांक 4693 जारी करते हुए आपको 03 दिवस के भीतर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त द्वितीय कारण बताओ नोटिस की तामिली आपको दिनांक 24.05.2021 को करायी जा चुकी है इसके बावजूद आप आज दिनांक तक न तो अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हुए हैं और न ही आपके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतदद्वारा आदेशानुसार आपकी ओर तृतीय कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप इस तृतीय नोटिस की प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित होवें अन्यथा आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आपकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

सही/–
(पंकज शर्मा)

2.6.21
4:10

पृष्ठां. क्रमांक 5692 /
II-13-9/2021

बिलासपुर, दिनांक 22 जून, 2021

प्रतिलिपिः–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छ.ग.) की ओर इस अनुरोध के साथ कि उक्त तृतीय कारण बताओ नोटिस की तामिली श्री ख्रिस्ट विकास तिग्गा को विशेष वाहक के माध्यम से कराते हुए तामिली प्रतिवेदन रजिस्ट्री की ओर शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें,

2. प्रभारी रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–सह–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि वे तृतीय कारण बताओ नोटिस की प्रति उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें,

21.06.21
(पंकज शर्मा)
एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई. एण्ड ई.)

Be uploaded on website
22.6.21